अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और एक अन्य

बनाम

अय्यंगार मैच वर्क्स आदि

4 दिसंबर, 1975

[ए.एन.राय, सी.जे., एम.एच.बेग, आर. एस. सरकारिया और पी.एन.सिंघल, जे.जे.]

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम, 1944- धारा 3- अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 1967 जिसमें माचिस के छोटे निर्माताओं को शुल्क की रियायती दर दी गई है- खादी और ग्रामोद्योग आयोग- यदि अधिसूचना के तहत प्रमाण पत्र देने में सक्षम है।)

छोटे निर्माताओं को बड़े निर्माताओं की प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 21 जुलाई 1967 की एक अधिसूचना, जिसे 4 सितंबर 1967 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया, द्वारा उन निर्माताओं के लिए शुल्क की रियायती दर की घोषणा की, जिन्होंने 4 सितंबर 1967 से पहले एक घोषणा दायर की थी कि उनकी अनुमानित वार्षिक निकासी 75 मिलियन माचिस की तीलियों से कम होगी। इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम परमेश्वरन मैच वर्क्स आदि [1975] 2 एससीआर 573 उच्च

न्यायायालय का उस निर्णय जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्गीकरण आमान्य था, को रद्द करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि किसी विशेष तिथि पर स्थापित वर्गीकरण उचित होगा; और रियायती दर का लाभ उन निर्माताओं द्वारा भी उठाया जाएगा जो 4 सितंबर, 1967 के बाद मैदान में आए थे, यदि वे माचिस की मात्रा के संबंध में अधिसूचना के खंड (डी) में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा छूट की सिफारिश की गई है।

प्रतिवादी ने 22 दिसंबर, 1967 को घोषणाएँ दायर कीं कि वे वर्ष 1969-70 के दौरान 75 मिलियन से अधिक माचिस का उत्पादन नहीं करेंगे और उन्होने उत्पाद शुल्क की रियायती दर का हकदार होने का दावा किया।

इस न्यायालय में अपील में प्रतिवादियों ने इस आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करने की मांग की (i) कि वे अधिसूचना के खंड (डी) के आधार पर छूट के हकदार थे; और (ii) खादी और ग्रामोद्योग आयोग कोई भी सिफारिश करने के लिए सक्षम नहीं था।

अपील को अनुमति प्रदान करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया: (1) अपीलें परमेश्वरन मैच वर्क्स मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आती हैं और अधिसूचना के खंड (डी) के तहत छूट के आधार पर

प्रतिवादियों द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है। याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिवादी 4 सितंबर 1967 के बाद क्षेत्र में आए या कि उन्होंने 4 सितंबर, 1967 के बाद माचिस का निर्माण शुरू किया या वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुशंसित थे। [871 डी एंड बी]

(2) एस के अंतर्गत. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 15 (एच) के तहत, आयोग खादी या किसी ग्रामोद्योग के उत्पादों की वास्तविकता सुनिश्चित करने और उनके उत्पादकों या डीलरों को प्रमाण पत्र देने के लिए कदम उठा सकता है। इसलिए, आयोग अधिसूचना के खंड (डी) के तहत छूट की सिफारिश करने में सक्षम है। [871 एफजी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 133-188/1975

[डब्ल्यूपी संख्या 2929, 3253 और 68, 123 और 260/1970, (2) डब्ल्यूपी नंबर 1606 और 1607/70, (3) डब्ल्यूपी नंबर 1998, 2484, 2567, 2568, 2569, 2663-65, 3046, 3125, 3126, 3182, 3363 65, 3410, 3508, 3555-60, 3630, 3631, 3667-3668, 3810-3812 और 3650/1969, (4) डब्ल्यूपी नंबर 2647, 2648/69 और 1121, 1451, 1452 और 1495 और 1496/1970, (5) डब्ल्यूपी नंबर 1912, 1913, 1919, 2123, 2318, 2516 और 2610/1970, (6) डब्ल्यूपी नंबर 2088,

2317 और 2515/70 और (7) डब्ल्यूपी नंबर 3666/1969 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित (1) 29.4.1970, (2) 28.7.1970, (3) 12.3.1970, (4) 28.7.1970, (5) 7. 9.1970, (6) 7.4.1970 और (7) 12.31970 से विशेष अपील द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलकर्ताओं की ओर से निरेन डे, भारत के अटॉर्नी जनरल और आरएन सचथे।

प्रतिवादियों की ओर से एम.आर.एम. अब्दुल करीम और शौकत हुसैन (प्रकरण संख्या 137, 140, 149, 152-155, 164, 169, 178, 179, 181, 182, 183 और 187/75 में)

श्रीमती एस. गोपालकृष्णन प्रतिवादी (सीए संख्या 177/1975 में)।

न्यायालय का निर्णय राय, सी.जे. द्वारा पारित किया गया। ये अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 3838/1968 में 11 दिसंबर, 1968 के फैसले से उत्पन्न हुई हैं।

वर्तमान अपीलों में उपरोक्त रिट याचिका संख्या 3838/1968 में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई थी।

रिट याचिका संख्या 3838/1968 में मद्रास उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर, 1968 के सामान्य निर्णय से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 262-273/1968 में इस न्यायालय ने भारत संघ और एक अन्य बनाम मेसर्स परमेशवरण मैच वर्क्स [1975] 2 एस.सी.आर. 573] आदि में दिये गए उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

वर्तमान अपीलों पर उस समय सुनवाई नहीं हुई क्योंकि सेवा पूर्ण नहीं थी।

इस न्यायालय ने 14 जुलाई, 1975 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि इन अपीलों को 21 नवंबर, 1975 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। संघ ने अपीलों के एकीकरण, सुरक्षा में कमी और अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए एक आवेदन किया। उस आवेदन को प्रतिवादियों को दिया गया। उस आवेदन के अनुसरण में इस न्यायालय ने 14 जुलाई, 1975 को 21 नवंबर, 1975 को अपीलों की सुनवाई का आदेश दिया। प्रतिवादियों ने इन सभी अपीलों में उपस्थिति दर्ज की है।

इन अपीलों में प्रतिवादियों, जो उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता थे, ने अपीलकर्ताओं को याचिकाकर्ताओं से 3.75 रुपये प्रति सकल से अधिक शुल्क एकत्र करने से रोकने के लिए दिनांक 21 जुलाई, 1967 की

अधिसूचना के अनुसरण में, जिसे दिनांक 4 सितंबर, 1967 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था, निषेधाज्ञा की मांग की।

उच्च न्यायालय में प्रतिवादियों का मामला यह था कि उन्होंने 22 दिसंबर, 1969 को घोषणा दायर की थी कि वे वित्तीय वर्ष 1969-70 के दौरान 75 मिलियन से अधिक माचिस की तीलियों का उत्पादन नहीं करेंगे। प्रतिवादियों ने 21 जुलाई, 1967 की अधिसूचना के अनुसार 3.75 प्रति सकल उत्पाद शुल्क की रियायती दर के हकदार होने का दावा किया। उच्च न्यायालय में प्रतिवादियों का अगला मामला यह था कि 4 सितंबर, 1967 को अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि 3.75 रुपये प्रति सकल की रियायत ऐसे "डी" श्रेणी के निर्माताओं को उपलब्ध होगी, जिन्होंने 4 सितंबर, 1967 से पहले घोषणा दाखिल की थी। प्रतिवादियों ने 4 सितंबर, 1967 से पहले या बाद के आवेदन के आधार पर निर्माता की एक ही श्रेणी के बीच अनुचित भेदभाव करते हुए एक मनमानी समय सीमा के रूप में 4 सितंबर, 1967 की तारीख तय करने को चुनौती दी। प्रतिवादियों ने रिट याचिका संख्या 3838/1968 दिनांक 11 दिसंबर, 1968 में उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया और उस फैसले के संदर्भ में आदेश देने की प्रार्थना की।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 3838/1968 दिनांक 11 दिसंबर, 1968 के फैसले के अनुपालन में प्रतिवादियों की याचिका स्वीकार कर ली।

अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी और मेसर्स परमेश्वरन मैच वर्क्स मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। मैसर्स परमेश्वरन मैच वर्क्स मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि 4 सितंबर, 1967 की अधिसूचना का उद्देश्य माचिस के वास्तविक छोटे निर्माताओं को घोषणा दाखिल करके शुल्क की रियायती दर अर्जित करने में सक्षम बनाना था। छोटे निर्माता जिनकी एक वर्ष में अनुमानित निकासी 75 मिलियन माचिसों से कम थी, उन्होंने यथाशीघ्र घोषणा करके इस अवसर का लाभ उठाया होगा क्योंकि वे समय-समय पर अपनी निकासी पर शुल्क की रियायती दर के हकदार बन जाएंगे। अधिसूचना का उद्देश्य उन बड़ी इकाइयों को रोकना था जो एक वर्ष में 100 मिलियन से अधिक माचिस का उत्पादन या समाशोधन कर रही थीं और जो शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए छोटी इकाइयों में विभाजित होने की घोषणा नहीं कर सकती थीं। किसी विशेष तिथि पर स्थापित वर्गीकरण को उचित माना गया क्योंकि तिथि का चुनाव उद्योग में छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों द्वारा प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया गया था और यदि विखंडन का प्रयोग करके, बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा की

जाती तो वह उद्देश्य विफल हो जाता, बड़ी इकाइयाँ इनाम की अंतिम लाभार्थी बन सकती थी।

प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने मैसर्स परमेश्वरन मैच वर्क्स मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की रिपोर्ट के पृष्ठ 576 पर भरोसा किया कि 4 सितंबर 1967 के बाद क्षेत्र में आने वाले निर्माता रियायती दर के हकदार थे, यदि वे 4 सितंबर, 1967 की अधिसूचना के खंड (डी) में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। मेसर्स परमेश्वरन मैच वर्क्स मामले (सुप्रा) में मैच वर्क्स ने 5 सितंबर, 1967 को माचिस के निर्माण के लिए यह कहते हुए लाइसेंस मांगा कि यह 5 मार्च, 1967 से उद्योग शुरू किया और एक घोषणा भी दायर की कि वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिए अनुमानित निर्माण 75 मिलियन माचिस से अधिक नहीं होगा। परमेश्वरन मैच वर्क्स ने दलील दी कि उसे शुल्क की रियायती दर का लाभ इस आधार पर नहीं दिया गया क्योंकि उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और निर्धारित तिथि की समाप्ति के बाद 5 सितंबर, 1967 को घोषणा दायर की थी। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि रियायती दर का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में प्रतिवादियों का मामला यह था कि वे रिट याचिका संख्या 3838/1968 में निर्णय के संदर्भ में एक आदेश का दावा कर रहे थे। याचिका में कोई आरोप नहीं है कि प्रतिवादी 4

सितंबर, 1967 के बाद क्षेत्र में आए थे या कि उन्होंने 4 सितंबर, 1967 के बाद माचिस का निर्माण शुरू किया। 4 सितंबर, 1967 की अधिसूचना ने अधिसूचना के उप-खंड (डी) में उल्लिखित कारखानों को, अन्य बातों के अलावा, राहत दी। उप-खंड (डी) में उल्लिखित कारखाने वे हैं "जिनका उत्पादन किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 100 मिलियन माचिसों से अधिक नहीं होता है या होने का अनुमान नहीं है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस अधिसूचना के तहत छूट के लिए बोनाफाइड कॉटेज के रूप में सिफारिश की गई है या जो उस समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित की गई हो"। उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि प्रतिवादियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वास्तविक कुटीर इकाइयों के रूप में छूट की सिफारिश की गई थी या सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित की गई थी। उप-खंड (डी) के तहत छूट के आधार पर याचिकाओं में प्रतिवादियों द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया था।

प्रतिवादियों द्वारा एक तर्क दिया गया था कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग उप-खंड (डी) में विचार के अनुसार कोई भी सिफारिश करने में सक्षम नहीं था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा जो आयोग के कार्यों का उल्लेख करती है, के खंड (सी), (डी), (एफ), (जी)

और (एच) में कहा गया है कि आयोग खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री और विपणन के लिए, ग्रामोद्योग के विकास में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकता है। धारा 15 (एच) में विशेष रूप से कहा गया है कि आयोग खादी या किसी ग्रामोद्योग के उत्पादों की वास्तविकता सुनिश्चित करने और उनके उत्पादकों या डीलरों को प्रमाण पत्र देने के लिए कदम उठा सकता है। इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग 4 सितंबर, 1967 की अधिसूचना के खंड (डी) के तहत छूट के लिए ग्रामोद्योगों की सिफारिश करने वाले प्रमाण पत्र देने में सक्षम है।

ये सभी अपीलें मेसर्स परमेश्वरन मैच वर्क्स केस (सुप्रा) के निर्णय के अंतर्गत आती हैं। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय के आदेशों को खारिज किया जाता है और याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अपीलकर्ताओं के लिए एक प्रकार का हर्जा-खर्चा होगा।

पीबीआर अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।